

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, लखीसराय  
जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2016 (पंचम चरण)  
प्रपत्र-"क" (संशोधित रिक्ति)

35 प्रतिशत महिला एवं 02 प्रतिशत स्वतंत्रता सेनानी के पाल्य/पाल्या का क्षैतिज आरक्षण के साथ रोस्टर समाशोधन के उपरांत विषयवार/कोटिवार रिक्तियां

विषय	कुल रिक्त पद	अनारक्षित		अ0पि0व0		पि0वर्ग		अनु0जाति		अनु0जन जाति		पिछड़ वर्ग की महिला	कुल
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
हिन्दी	25	7	4	2	2	2	1	4	2	0	0	1	25
अंग्रेजी	22	6	3	3	1	2	1	3	2	0	0	1	22
उर्दू फारसी	13	3	2	2	1	1	1	2	1	0	0	0	13
संस्कृत	13	3	2	2	0	1	1	3	1	0	0	0	13
गणित	13	4	1	0	0	1	0	4	2	0	0	1	13
विज्ञान	18	4	3	2	1	2	1	2	2	0	0	1	18
सामाजिक विज्ञान	17	5	2	2	2	1	0	2	2	1	0	0	17
शारीरिक शिक्षा	5	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	5
योग	126	34	17	13	7	10	6	21	13	1	0	4	126

नगर पषिद्, माध्यमिक शिक्षक नियोजन, लखीसराय

विषय	कुल रिक्त पद	अनारक्षित		अ0पि0व0		पि0वर्ग		अनु0जाति		अनु0जन जाति		पिछड़ वर्ग की महिला	कुल
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
हिन्दी	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
अंग्रेजी	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
उर्दू फारसी	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
संस्कृत	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
विज्ञान	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
सामाजिक विज्ञान	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
योग	13	3	4	1	0	0	0	5	0	0	0	0	13

नगर पंचायत, माध्यमिक शिक्षक नियोजन, बड़हिया

विषय	कुल रिक्त पद	अनारक्षित		अ0पि0व0		पि0वर्ग		अनु0जाति		अनु0जन जाति		पिछड़ वर्ग की महिला	कुल
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
हिन्दी	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
अंग्रेजी	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
उर्दू फारसी	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
संस्कृत	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
गणित	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
सामाजिक विज्ञान	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
योग	9	3	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	9

नोट :- सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के संकल्प संख्या-963, दिनांक-20.01.2016, पत्रांक-2342, दिनांक-15.02.16 द्वारा प्रावधानित 35 प्रतिशत महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण देय है, परंतु 50 प्रतिशत मेरिट तथा 50 प्रतिशत आरक्षित वर्ग के आधार पर नियमानुसार चयन सूची तैयार करने के उपरांत महिलाओं की संख्या स्वतः 35 प्रतिशत से अधिक हो जाने की स्थिति में इसे यथावत् रखा जायेगा तथा पत्रांक-2526, दिनांक-18.02.16 द्वारा राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतनी को 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के क्रम में संदर्भित संगत कोटि के आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्ग के विरुद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतनी को प्रावधानित निदेश के आलोक में क्षैतिज आरक्षण देय है। उक्त दोनों श्रेणी यथा योग्य महिला अभ्यर्थियों एवं स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतनी अभ्यर्थी की अनुलब्धता की स्थिति में उसी समव्यवहार में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के सामान्य उम्मीदवारों के पदों को भर लिया जायेगा।

नोट :- नियोजन सिर्फ प्रशिक्षित/शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की होगी साथ ही रिक्तियां घट/बढ़ सकती है।

(जयप्रकाश प्रसाद)

लिपिक,

जि.शि.पदा.कार्यालय, लखीसराय

(श्यामबाबू राम)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
स्थापना, शिक्षा विभाग, लखीसराय

(त्रिलोकी सिंह)

जिला शिक्षा पदाधिकारी,  
लखीसराय